

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: HA/Dress/2023-24/ 120

दिनांक 01/09/2023

आदेश

वर्तमान में नर्सिंग कार्मिकों की ड्रेस सफेद पैंट, शर्ट (पुरुष) तथा सफेद साड़ी, सलवार सूट (महिला) निर्धारित है, में संशोधन कर एम्स की तर्ज पर स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू पैंट (पुरुष) तथा ब्लू साड़ी/कुर्ता एवं नेवी ब्लू सलवार, सफेद एप्रीन, नेवी ब्लू ब्लेजर/जर्सी, ब्लेक शूज, व्हाइट मोजे ड्रेस की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिन कार्मिकों ने इस वित्तीय वर्ष में वर्दी का भुगतान प्राप्त कर लिया है, उन्हें इस वित्तीय वर्ष में वर्दी का पुनः भुगतान नहीं किया जाएगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. रवि प्रकाश माथुर)

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: HA/Dress/2023-24/ 120

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 01/09/2023

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RSHAA, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/अराजपत्रित), मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन/ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति, जयपुर को उनके ज्ञापन दिनांक 26.06.2023 के क्रम में।
11. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय प्रति।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :01-09-2023 04:46:52